नारी के विरुद्ध घरेलू हिंसा, उनकी समाज में स्तिथि एवं उनके कारणों का अध्यन

नीलू सिंह[1], डा रश्मी विश्नोई[2]

गृह विज्ञान विभाग

[1,2]श्री वेन्केटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, यू.पी.

सारांश

दुनिया के अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में महिलाएँ घरेलू हिंसा का दंश झेलती रही हैं। कई सर्वेक्षणों से यह बात सामने आयी है कि प्रताड़ना की शिकार महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो पति से पिटने और गालियां खाने के बावजूद शुरू में गहरी शर्म और हीन भावना के कारण मुंह नहीं खोल पाती। भारत में यूं भी पति के खिलाफ बोलना सामाजिक व पारिवारिक परवरिश के दायरों में शिष्टता के खिलाफ समझा जाता हैं। बचपन से ही लड़कियों को बोझ समझना पराया मानना तथा यह दिखाना कि जिस घर में डोली गई हैं, अर्थी भी वहीं से उठनी चाहिए, उन्हें दब्बू और डरपोक बना देता है। परिणामस्वरूप अधिकांशतः वे चाहकर भी अन्याय का विरोध नहीं कर पाती। घरेलू हिंसा के पाटो तले भले ही वे पिसती हो, मुंह नहीं खोल पाती। हिंसा को वे अपनी नियति मान लेती हैं। और खुद को एक पिटने योग्य जीव ।

1. प्रस्तावना

भारत के इतिहास से महिलाओं के भूमिका संघर्ष, उत्पीड़न, अत्याचार और घरेलू हिंसा की कहानी जुड़ी हुई है। भारत के साथ–साथ विश्व में महिला के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ रहा है लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। दुनिया का कोई सा भी महाद्वीप या राष्ट्र हो, कोई भी राज्य या क्षेत्र हो, हर जगह महिलाओं को पुरूषमानसिकता द्वारा उत्पीड़न और भूमिकाओं के निर्वाहन में संघर्ष झेलना पड़ता है।

महिलाएं स्वभाव से अपेक्षाकृत कोमल होती हैं और वे ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाती और शायद इसीलिए उन्हें विभिन्न प्रकार के अत्याचार उत्पीड़न, हिंसा और संघर्ष को सहना पड़ता है। यह उत्पीड़न या भूमिका के प्रति संघर्ष कई प्रकार का होता है। यौन उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न, घेरलू हिंसा, मजाक उड़ाना, अश्लीलता, दुष्कर्म, मानव अधिकारों का हनन और संवैधानिक अधिकारों से निरूद्ध करना किसी भी रूप में महिलाओं को अपनी, कामकाजी महिला और गृहणी के रूप में भूमिका निर्वाहन में आने वाले अवरोधों से संघर्ष के लिए तैयार रहना होता है।

विश्व में होने वाले कुल अपराधों का यदि अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि अपराधों में अधिकतम प्रतिशत महिलाओं के विरूद्ध होता है। महिलाओं के विरूद्ध अपराध अधिक क्यों होते है? उन्हें अपनी हर प्रकार की भूमिका के साथ संघर्ष क्यों करना पड़ता है? घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं ही क्यों होती है, इस विषय में विद्वानों की काफी शोध किए और इन शोधों का सारांश यही है कि पुरूषों के मुकाबले शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण, स्वभाव से कोमल होने के कारण, अपने संवैधानिक अधिाकारों के प्रति अनभिज्ञ होने के कारण और पुरूषों की निरंतर उपेक्षा ही दुनियाभर में महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाए अधिक हो रही है।

2. घरेलू हिंसा की उत्पत्ति

घरेलू हिंसा की उत्पत्ति का मुख्य कारणसमाज में महिलाओं का निम्न स्तर होना है, जिसमें कानून में भेदभाव तथा महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं हिंसा भी सम्मिलित है। महिलाओं के प्रति मानसिक तथा शारीरिक हिंसा जन्म से मृत्यु तक बराबर होती रहती है। आज सभी देशों में महिलाएँ जहाँ इक्कीसवीं सदी की वैश्विक समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रही हैं, वहीं बढ़ती गरीबी और आर्थिक अनिश्चितता तथा आए दिन बढ़ते महिला उत्पीड़न और दिल दहला देने वाली हिंसात्मक घटनाओं का शिकार होती महिलाओं ने एक बार फिर विश्व में मानव अधिकारों के हिमायती, समानता और सुरक्षा तथा शांति की दुहाई देनेवाले राष्ट्रों के नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और समुदाओं के सामने इस कड़वे सच को उजागर करके, उनके मुखौटे उतार फेंके हैं। क्योंकि महिलाओं को लिंग भेद के कारण कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकारों का न मिलना आज भूमण्डलीकरण की एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसी कारण महिलाओं का आज सबसे अधिक शोषण हो रहा है। इसकी सबसे भयावह समस्या अवैध देह व्यापार के रूप में पूरे विश्व के सामने खड़ी है। अवैध–देह – व्यापार में शोषण, वेश्यावृत्ति, बलपूर्वक श्रम कराना या गुलाम बनाकर देह–व्यापार करना शामिल हैं। भूमण्डीकरण की इन तमाम चुनौतियों के मद्दे नजर रखते हुये आज महिलाओं की मांगे निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। "विश्व इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुका है। नई विश्व–व्यवस्था महिला और पुरुषों के समान अवसरों से ही प्राप्त हो सकती है। जब तक विश्व में महिलाओं की आधी आबादी त्रासदी से मुक्त होकर पुरुषों के समान अवसर युक्त जीवनयापन नहीं कर सकेगी, विश्व–विकास का सपना अधूरा ही रहेगा। अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार हर क्षेत्र में महिलाओं को जब समान अवसर उपलब्ध होंगे, तभी सही विकास होगा। यद्यपि विश्व में और खासकर भारत में विछले वर्षों में काफी प्रयत्न किया हैं, तदापि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।"

3. घरेलू हिंसा एवं कानून

संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम की एक रिपोर्ट के अनुसार 45 देशों ने महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सुनिश्चित कानून बनाए। महिलाओं के साथ विभेदकारी व्यवहार की समाप्ति की घोषणा 7 नवम्बर, 1967 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इस घोषणा के अनुच्छेद 10 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को फिर वे चाहे विवाहित हों अथवा अविवाहित, पुरुषों के साथ आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के सभी समान अधिकार प्रदान किये जाने केलिए समुचित व्यवस्था की जायेगी और विशेषकर

(क) विवाहित स्तर के आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर बिना किसी भेदभाव के कार्य के व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त कर सके तथा व्यवसाय चयन और रोजगार में उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करें।

(ख) पुरुषों के समान मजदूरी तथा उसी के समान कार्य में समान व्यवहार हो।

(ग) वेतन सहित अवकाश का अधिकार, सेवामुक्ति, विशेषाधिकार तथा बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था अथवा काम करने की अन्य अयोग्यताओं की दशा में सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान।

(घ) पुरुषों के समान शर्तो पर पारिवारिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकार महिलाओं के विरुद्ध

विवाह के आधार पर अथवा मातृत्व के आधार पर विभेद को समाप्त करने केलिए तथा उन्हें प्रभावकारी अधिकार दिलाने केलिए कार्य किये जाऐंगे तथा उनको आवश्यक सामाजिक सेवायें जिसके अन्तर्गत बच्चों की देखरेख, रोजगार सम्बन्धी सेवायें आदि सम्मिलित होंगी फिर भी शारीरिक प्रकृति की भिन्नता के कारणों से कुछ प्रकार के कार्यों में महिलाओं की सुरक्षा केलिए स्तर निर्धारित किया जायेगा जो कि विभेदकारी नहीं होगा।

4. घरेलू हिंसा एक विश्व व्यापक समस्या

महिलाओं के साथ हिंसा, विश्व में आज मानव अधिकार उल्लंघन का सबसे घिनौना रूप माना जा रहा है। आज पूरे विश्व की महिलायें इस समस्या का सामना कर रही है। यदि हम वैश्विक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक तीन महिला में से एक महिला के साथ बलात्कार होगा या उसे पीटा जाऐगा या सेक्स के धंधे में जाने केलिए उसे विवश किया जाऐगा या पूरे जीवन हिंसा के अभिशाप को भोगने केलिए तत्पर रहना होगा। आज 'घरेलू हिंसा' एक चिन्ता का विषय बन चुका है। वास्तव में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली आपराधिक हिंसा का कारण कोई एक तथ्य नहीं है। अर्थात 'घरेलू हिंसा' महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध यह एक ऐसी भूमण्डलीय गंभीर समस्या है जो उसे शारीरिक, मानसिक, यौनाचार और आर्थिक रूप से उसकी हत्या करती या उसे अपंग बना देती है। मानव अधिकारों का यह सर्वाधिक व्यापक उल्लघंन है जिसके द्वारा महिलाओं तथा लड़कियों को सुरक्षा, सम्मान, समानता, आत्म उत्कर्ष और बुनियादी आजादी के अधिकारों से वंचित रखा जाता है। अर्थात 'घरेलू हिंसा' एक ऐसा अपराध है जो न तो सही गैर पर रिकॉर्ड किया जाता है और न ही इसकी सही तौर पर रिपोर्ट की जाती है। अंततरू जब कोई महिला रिपोर्ट लिखवाना चाहती है या मदद चाहती है तो पुलिस उसके प्रति उदासीनता का व्यवहार करती है। इसके साथ–ही–साथ महिला का यह भी सत्य है कि शर्म, बदला लिए जाने का भय, कानूनी अधिकारों की जानकारी न होना, अदालती प्रक्रिया के प्रति विश्वास की कमी या भय, कानूनी कार्यों पर होने वाले खर्च भी ऐसे ही कारण हैं जो घरेलू हिंसा से उत्पीडित महिला को रिपोर्ट न लिखवाने केलिए विवश करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का पूरा जीवन क्रम यों उजागर किया है।

- जन्मपूर्व हिंसा दृ लिंग चुनाव केलिए भ्रूण हत्या, लिंग–जाँच हो जाने पर गर्भावस्था के दौरान औरत पर अत्याचार क्योंकि वह बालिका शिशु को जन्म देने वाली है।
- शैशव हिंसा – बालिका शिशु के जन्म लेते ही उसकी हत्या। इसके साथ ही उसे जन्म देने वाली औरत को दिए जाने वाले शारीरिक, यौन और मानसिक उत्पीड़न।
- बालिका उत्पीड़न – बाल विवाह, महिलाओं का खतना, शारीरिक, यौन और मानसिक उत्पीड़न, दुराचारपूर्ण व्यवहार, बाल वेश्यावृत्ति और अश्लील सामग्री तैयार करने केलिए उनका इस्तेमाल।
- किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में हिंसा–डेटिंग और सामंती हिंसा (एसिड फेंकना, डेट के दौरान बलात्कार करना), गरीबी के कारण मजबूर करके यौनाचार करना (जैसे लड़कियों द्वारा अपनी स्कूल फीस के बदले, फीस देनेवाले के साथ यौन–संबंध बनाना), दुर्व्यवहार, कार्यस्थल पर यौनशोषण, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, जबरदस्ती करवाई गई वेश्यावृत्ति,

अश्लील सामग्री केलिए दुरुपयोग और हत्याएँ, मानसिक उत्पीड़न, विकलांग महिलाओं का यौन शोषण, बलात करवाया गया गर्भधारण।

- वृद्ध महिलाओं के साथ हिंसा – आत्महत्या करने के लिए विवश कर देना या आर्थिक कारणों से की गई हत्या। यौन, शारीरिक और संवेदना के स्तर पर मानसिक उत्पीड़न। अर्थात आज वैश्विक स्तर पर बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक लड़कियों और महिलाओं के साथ हो रही हिंसा की इस महामारी ने सारे विश्व को जकड़ लिया है।

5. यौन–उत्पीड़न या बलात्कार

घरेलू हिंसा के तहत पति द्वारा किया गया यौन–उत्पीड़न या बलात्कार अधिकांश देशों में अपराध नहीं माना जाता है। कहने का अभिप्राय यदि एक बार एक महिला विवाह बंधन में बंध जाती है तो पुरुष (पति) उसके साथ मनचाही यौन क्रिया करने का अधिकारी हो जाता है। इस समस्या को हल करने केलिए अनेक देशों ने 'दांपतिक बलात्कार के विरुद्ध कानून' बनाने की दिशा में कार्य किया है। जिनमें दृ "आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बाखाडोस, कनाडा, साईप्रस, जर्मनी, आयरलैंड, मेक्सिको, नामीबिया, डेनमार्क, दि डोमिनिकल रिपब्लिक, इक्वेडोर, फिनलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, स्वीड़न, नार्वे, दि फिलिपाइंस, पोलैंड, रूस, दक्षिणी आफ्रिका, स्पेन, यु.के, ट्रिनिड़ाड, टोबैगो और अमेरिका।" घरेलू हिंसा को रोकने केलिए जो कानून बनाये जा रहे हैं उसमें प्रगति हो रही है किन्तु समस्या यह उत्पन्न होती है कि, पीड़ित महिला अपराध संबंधी कानूनों को आरोपों की पुष्टि केलिए आवश्यक सबूत उपलब्ध नहीं करा सकती है। स्टीफेनी ए. आइसेनटैट और लुंडी बैक्राफ्ट के अनुसार 'घरेलू प्रातड़ना या उत्पीड़न दांपत्य संबंधों में पति द्वारा किया गया मानसिक, आर्थिक और बलपूर्वक यौनाचार का ऐसा स्वरूप है, जिसे शारीरिक चोटों या शरीर को क्षति पहुँचाने वाली विश्वसनीय घमकियों द्वारा चिन्हित किया जाता है। महिला उत्पीड़न या घरेलू हिंसा उन सोचे–समझे नियन्त्रणकारी आचरणों और प्रवृत्तियों का जोड़ा है जिन्हें सांस्कृतिक रूप से समर्थन प्राप्त होता है और जो पाशबद्धता वाले संबंध–स्वरूप को जन्म देते हैं। इस प्रताड़ना का लक्ष्य आमतौर से महिलाएँ और बच्चे ही होते हैं और एक महिला को इन बेड़ियों से मुक्त होने में वर्षों लग जाते हैं और इस पूरी अवधि में प्रताड़ना का स्तर निरन्तर बढ़ता चला जाता है।" अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2002 में हिंसा (जिस में घरेलू या दांयतिक हिंसा भी सम्मिलित है) को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। अरविंद जैन जी 'औरत होने की सजा' में स्त्री उत्पीड़न के बारे में यों लिखते हैं कि "समाजसेवी संस्थाओं, शोधकर्ताओं और विचारकों के सुझाव पर 1986 में एक बार फिर बिल नंबर 44 प्रस्तावित किया गया जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 26 जनवरी, 1987 से लागू हो गया है। इस अधिनियम का नाम 'महिला और बालिका अनैतिक देह–व्यापार नियंत्रण अधिनियम' कर दिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि 'दमन' के स्थान पर 'नियंत्रण' शब्द का प्रयोग किया गया है।" अंततरू शारीरिक प्रताड़ना में ऐसा कोई भी कार्य या आचरण सम्मिलित नहीं है जो इस तरह का हो कि वह उत्पीड़ित महिला, लड़की को शारीरिक पीड़ा या अन्य कोई हानि या शरीर के अंगों या स्वास्थ्य को उत्पीडित करके उसे क्षति पहुँचाए। जिसमें उसका अपमान, उपहास, नीचा दिखाना, अनादर करना, भद्दे नामों से पुकारना आदि भी आ जाते हैं।

6. घरेलू हिंसा के कारण

हमारे भारतीय समाज में पुरुष के सम्मान के लिए महिलाओं की जिन्दगी ले ली जाती है। उदाहरणतया पुरुष का सम्मान, प्रायरू उसके परिवार की महिला की मानी हुई यौन 'पवित्रता' से जुडा होता है। यदि किसी भी औरत या लड़की का यौन दूषित हो जाती है जैसा कि बलात्कार या वैवाहिक संबंधों के होते हुए स्वेच्छा से किसी और से यौनसंबंध बना लेती है उसके प्रति समाज व परिवार का मानना है कि उसने समाज व परिवार का सम्मान घटाया है तथा अपमानित किया है। अनेक बार तो उसे इस अपमान व सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहूति तक देनी पड़ती है। यहाँ समस्या यह उजागर होती है कि लड़की या महिला के साथ यौन शोषण हो रहा है तो केवल वही दण्ड की अधिकारणी क्यों? पुरुष केलिए कोई दण्ड क्यों नहीं है? यौन शोषण तो पुरुष ही करता है महिला का फिर महिला किस भांति अपवित्र या अपमानित हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2002 की रिपोर्ट के अनुसार दृ "दाम्पत्यमूलक हिंसा के बारे में पूरे विश्व में किए गये 48 प्रतिशत सर्वक्षण बताते हैं कि 10 प्रतिशत से 69 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उसके जीवन में कभी न कभी पति द्वारा हिंसा अवश्य की गई है। दाम्पत्य संबंधों में शारीरिक प्रताड़ना के साथ–साथ मानसिक प्रताड़ना भी शामिल होती है, और एक तिहाई से लेकर आधे मामलों में यौन प्रताड़ना भी होती है" अर्थात पति–पत्नी के मध्यम विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएँ एक–दूसरे से जुड़ी रहती है। जीवन–साथी द्वारा की गई घरेलू हिंसा कभी–कभी महिलाओं की मौत का कारण भी बनती रहती है। भारत में महिलाओं की अधिकतर हत्यायें पिटाई और आग से होती है। औरत पर किरोसिन डालकर आग लगा दी जाती है और बाद में कहा जाता है कि 'रसोईघर में दुर्घटनावश' मृत्यु हो गई। यह घरेलू हिंसा आखिर होती क्यों है? पहला वह कि जिसमें हिंसा गम्भीर तथा उग्र रूप ले लेती है जैसे भद्दी व गन्दी गालियाँ देना, आतंकित करना व प्रताड़ित करना। साथ ही उसका नियन्त्रणकारी एवं एकाधिकार प्रदर्शित करनेवाला व्यवहार। दूसरी हिंसा यों कह सकते हैं कि लगातार चलनेवाली कुंठा और क्रोध कभी–कभी शारीरिक प्रताड़ना के रूप में प्रकट हो जाते हैं। घरेलू हिंसा का भड़काने का कारण भी कभी–कभी यह कह सकते हैं –

- पुरुषों की आज्ञा न मानना।
- उलटकर बहस करना या जवाब देना।
- वक्त पर खाना तैयार न करना।
- घर के बच्चों की ठीक से देखभाल न करना।
- पुरुषों के धन या गर्लफ्रेंड़स के बारे में पूछताछ करना।
- पति की अनुमति के बगैर कहीं चले जाना।
- पुरुषों को सेक्स केलिए मना करना।
- पुरुषों को पत्नी पर विश्वासघाती होने का संदेह।

7. परिणाम

निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हो रही 'घरेलू हिंसा' को स्पष्ट और व्यापक रूप से परिभाषित किया जाये तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रायरू सभी रूपों को समाप्त करने केलिए और अधिक प्रयास किया जाये। क्योंकि एक ओर तो जहाँ कानून बनाये जा रहे हैं, संशोधित किये जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकारी घोषणाओं में उन्हें लागू किये जाने की बात कही जाती है। किन्तु वास्तव में जो परिणाम सामने आना चाहिए वह नहीं आ पाता। आवश्यकता है तो जनता, प्रशासन और कानून

तथा उसे लागू करनेवालों के नजरिए में बदलाव की। सादियों से जो घोषणाएँ, पारंपरिक मान्यताएँ, धार्मिक विचार, नैतिक मूल्य महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक या व्यक्तिगत स्थिति पर अत्याचार करती आ रही है, निस्संदेह उसे एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर व्यापक पैमाने पर प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक माध्यम इस अभियान में पूरी शक्ति व निष्ठा से साथ दे तो विश्चित ही इस हिंसात्मक हिंसा का अंत हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

[1]. अग्रवाल, जे.सी., भारत में नारी शिक्षा, विद्याविहार, नई दिल्ली, 1998

[2]. अवस्थी, सुधा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी, रायपुर, 2009

[3]. आर्य, साधना, नारीवादी राजनीति संघर्ष व मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2006

[4]. डी. किरन, स्टेटस एण्ड पोजीशन ऑफ विमन इन इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2001

[5]. 19. गौतम, ज्योति एवं प्रकाश नारायण, लिंग एवं समाज, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 2007

[6]. 20. गडकर,रातेमारी, नारी चिन्तन नयी चुनौतियाँ, अन्नपूर्ण प्रकाशन, कानपुर, 2003

[7]. लावण्य, एम.एम., भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 2003

[8]. तवारी, आर.पी., भारतीय नारी वर्तमान समस्याएँ एवं भावी समाधान, ए.पी.एसपब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000

[9]. सत्य, स ुभाष, भारतीय नारी कितनी जीती कितनी हारी, अनिल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006

[10]. राजकुमार, नारी शोषण समस्याएँ एवं समाधान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009